उत्तर प्रदेश शासन

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-5

संख्या- 3/2017/ 2243/14-5-2017-07/93

लखनऊ दिनांक 25 **अक्टूबर**, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

नेशनल मिशन फार सस्टनेबुल एग्रीकल्चर गाईडलाइन्स 2014 **तथा मिशन आन एग्रोफारेस्ट्री गाईडलाइन्स** 2016 **के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश् में कृषि वानिकी के नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु श्री राज्यपाल एतद्द्वारा 'उत्तर प्रदेश कृषि वानिकी मिशन** (Uttar Pradesh Agroforestry Mission) **का गठन करते हैं।**

उद्देश्य :- उत्तर प्रदेश वानिकी मिश्न के निम्न उद्देश्य होंगे :-

(i) **प्रदेश् में जन सहभागिता द्वारा कृषि वानिकी के माध्यम से वृक्षाच्छादन को बढ़ावा देना।**

(ii) **वृक्षारोपण को खेती एवं पषुपालन के पूरक तथा समग्र रूप में कृषि वानिकी वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना तथा उसका विस्तार करना, ताकि उनकी उत्पादकता, रोजगार के अवसर, आय सृजन तथा ग्रामीण परिवार विषेश रूप से छोटे किसानों की आजीविका के संसाधनों में वृद्धि की जा सके।**

(iii) **बीज, पौध, क्लोन, संकर, उन्नत किस्मों की उच्च गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।**

(iv) **विभिन्न कृषि वानिकी पद्धतियों/ माडल्स जो विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों (एग्रो क्लाइमेटिक जोन) और भूमि उपयोग स्थिति के लिए उपयुक्त हों, को लोकप्रिय बनाना।**

(v) **कृषि वानिकी के क्षेत्र में सूचना, अनुसंधान एवं जानकारी को विकसित करना।**

(vi) **कृषि वानिकी के विस्तार हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करना।**

कृषि वानिकी के क्षेत्र में क्षमता विकास करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राज्य कृषि वानिकी संचालन समिति

(State Agroforestry Steering Committee)

राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में 'राज्य कृषि वानिकी संचालन समिति' का गठन निम्नवत् होगा:-

क्र0सं0	पदनाम	पद
1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, उद्यान, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0	सदस्य
10	कृषि,सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
11	मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
12	रीजनल डायरेक्टर, इंटरनेषनल सेन्टर फार रिसर्च इन एग्रो फरेस्ट्री अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
13	निदेशक, सेन्ट्रल एग्रो फारेस्ट्री रिसर्च इन्स्टीट्यूट, झासी (CAFRI)	सदस्य
14	राज्य सरकार द्वारा नामित कृशि वानिकी कार्यों से सम्बन्धित गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधि - एक (1)	सदस्य
15	राज्य सरकार द्वारा नामित कृशि वानिकी उद्योग से सम्बन्धित प्रतिनिधि - एक (1)	सदस्य
16	निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0	सदस्य
17	निदेशक, उद्यान विभाग, उ0प्र0	सदस्य
18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0	सदस्य
19	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0	सदस्य
20	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0/मिषन डायरेक्टर, उत्तर प्रदेष कृशि वानिकी मिशन	सदस्य सचिव

यह समिति राज्य में कृषि वानिकी मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से सम्बन्धित नियोजन एवं मार्ग दर्शन के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करेगी। यह समिति वर्ष में न्यूनतम दो बार और तत्पश्चात् जब भी आवश्यक हो, जिसका विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा द्वारा किया जायेगा, बैठक आयोजित करेगी, परन्तु यह कि अध्यक्ष कम से कम पचास

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पचास प्रतिशत सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अतिरिक्त बैठक आहूत करेंगें। समिति की बैठक हेतु कोरम पचास प्रतिशत सदस्यों के प्रतिभाग करने पर पूर्ण होगा।

राज्य स्तरीय स्थाई तकनीकी समिति

(State Level Standing Technical Committee)

राज्य स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टेडिंग तकनीकी समिति का गठन निम्नवत् होगा:-

क्र0सं0	पदनाम	पद
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0	अध्यक्ष
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0	
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0	सदस्य
4	महानिदेशक, इंडियन काउन्सिल फार फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	निदेशक, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	निदेशक, कृषि अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	निदेशक, उद्यान अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
9	रीजनल डायरेक्टर, इंटरनेषनल सेन्टर फार रिसर्च इन एग्रोफारेस्ट्री अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10	राज्य सरकार द्वारा नामित कृषि वानिकी उद्योग के प्रतिनिधि	सदस्य
11	महानिदेशक, राज्य कृशि अनुसंधान परिशद, उ0प्र0 अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
12	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
13	राज्य सरकार द्वारा सीमैप/राज्य कृशि विष्वविद्यालय से नामित तकनीकी विषेशज्ञ - दो (02)	सदस्य
14	राज्य सरकार द्वारा नामित गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधि - एक (01)	सदस्य
15	निदेशक, सेन्ट्रल एग्रो फारेस्ट्री रिसर्च इन्स्टीट्यूट, झासी (CAFRI) अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
16	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0/मिशन डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश कृषि वानिकी मिशन	सदस्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यह समिति राज्य में कृषि वानिकी मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेगी तथा अन्य तकनीकी समितियों से समन्वय करते हुए कृषि वानिकी मिशन के ज्ञानाधार हेतु मुख्य भागीदार होगी। यह समिति वर्ष में न्यूनतम तीन बार और तत्पश्चात् जब भी आवश्यक हो, जिसका विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, बैठक आयोजित करेगी, परन्तु यह कि अध्यक्ष कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अतिरिक्त बैठक आहूत करेंगें। समिति की बैठक हेतु कोरम पचास प्रतिशत सदस्यों के प्रतिभाग करने पर पूर्ण होगा।

कृषि वानिकी परियोजना प्रबन्धन इकाई

(Agroforestry Project Management Unit)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 मिशन डायरेक्टर होंगें एवं उनकी अध्यक्षता में कृषि वानिकी मिशन के कार्यों के संचालन हेतु निम्नानुसार कृषि वानिकी परियोजना प्रबन्धन इकाई का गठन किया जाता है:-

क्र0सं0	पदनाम	पद
1	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0	अध्यक्ष/मिषन डायरेक्टर
2	वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 (प्रतिनियुक्ति पर)	सदस्य
3	संयुक्त निदेशक/उप निदेषक, कृषि विभाग (प्रतिनियुक्ति पर)	सदस्य
4	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, उद्यान विभाग (प्रतिनियुक्ति पर)	सदस्य
5	तकनीकी सलाहकार यथा कृषि विशेषज्ञ- दो (02) तथा कम्प्यूटर डाटा विशेषज्ञ-एक (01) (आउट सोर्सिंग के आधार पर)	सदस्य
6	मुख्य लेखाधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 (प्रतिनियुक्ति पर)	सदस्य
7	मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 (प्रतिनियुक्ति पर)	सदस्य
8	मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0	संयोजक

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 उत्तर प्रदेश प्रदेश कृषि वानिकी मिशन के मिशन डायरेक्टर होगे। परियोजना प्रबन्धन इकाई राज्य में कृषि वानिकी से सम्बन्धित समस्त तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के सम्पादन तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य सम्पादित करेगी।

कृषि वानिकी मिशन हेतु न्यूनतम आवश्कता के आधार पर पदों का सृजन शासन की अनुमति से किया जायेगा। यह समिति वर्ष में न्यूनतम तीन बार और तत्पश्चात् जब

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भी आवश्यक हो, जिसका विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, बैठक आयोजित करेगी, परन्तु यह कि अध्यक्ष कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अतिरिक्त बैठक आहूत करेंगें। समिति की बैठक हेतु कोरम पचास प्रतिशत सदस्यों सदस्यों के प्रतिभाग करने पर पूर्ण होगा।

प्रदेश में कृषि वानिकी मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता हेतु गठित समिति के अन्तर्गत राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात् दो तकनीकी सलाहकार, कृषि/कृषि वानिकी/उद्यान तथा एक तकनीकी सलाहकार, कम्प्यूटर डाटा विशेषज्ञ, संविदा के आधार पर नियुक्त किये जायेंगे। तकनीकी सलाहकार के कार्य कार्य दायित्व नेशनल मिशन फार सस्टनेबुल एग्रीकल्चर में निहित स्टेट कन्सल्टेन्टस् के सदृष्य होंगे।

कृषि वानिकी मिशन के उद्देष्यों की पूर्ति हेतु देश एवं विदेश के विभिन्न विभागों/ मंत्रालयों/ संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर धनराशि की व्यवस्था कर इसका अनुरक्षण एवं उपयोग सुनिश्चित करेगी। कार्यों के प्रारम्भिक संचालन हेतु धनराशि की तत्काल आवश्यकता होगी। अतः कृषि वानिकी मिशन के कार्यों के प्रारम्भिक संचालन हेतु रू0 10.00 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार द्वारा कारपस फण्ड के रूप में प्रदान की जायेगी। कारपस फण्ड के ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को कृषि वानिकी मिशन के उद्देष्यों एवं योजना की पूर्ति के लिए संचालित विभिन्न गतिविधियों तथा प्रशासनिक व्यय आदि पर आवश्यकतानुसार वहन किया जायेगा।

उक्त कृषि वानिकी मिशन के लिए प्राप्त वित्तीय संसाधनों को उ0प्र0 कृषि वानिकी मिशन के नाम से किसी राश्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जायेगा।

जिला कृषि वानिकी समिति

(District Agroforestry Committee)

जिला स्तर पर राज्य कृषि वानिकी मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला कृषि वानिकी मिशन का गठन निम्नवत् होगा:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0सं0	पदनाम	पद
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	उप कृषि निदेशक	सदस्य
4	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
5	जिला पशुधन अधिकारी	सदस्य
6	भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग	सदस्य
7	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8	प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कृषि तकनीकी प्रबन्धन संस्थान (ए0टी0एम0ए0) अथवा उनके द्वारा प्रतिनिधि	सदस्य
9	प्रोग्राम कोआर्डिनेटर, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
10	सचिव, मण्डी समिति	सदस्य
11	जिलाधिकारी द्वारा नामित गैर सरकारी संस्थान/स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि - दो (02)	सदस्य
12	प्रबन्धक, लीड बैंक	सदस्य
13	उपायुक्त, उद्योग	सदस्य
14	प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक	सदस्य सचिव

यह समिति वर्ष में न्यूनतम चार बार और तत्पश्चात् जब भी आवश्यक हो, जिसका विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, बैठक आयोजित करेगी, परन्तु यह कि अध्यक्ष कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अतिरिक्त बैठक आहूत करेंगें। समिति की बैठक हेतु कोरम पचास प्रतिशत सदस्यों के प्रतिभाग करने पर पूर्ण होगा। उपर्युक्त समिति जनपद में निम्न कार्यवाही करेगी:-

1. **कृषि वानिकी रोपण एवं संर्वधन कार्यों का संचालन, सामन्जस्य एवं अनुश्रवण करना।**
2. **कृषि वानिकी से विभिन्न उत्पाद तैयार करने वाले कारीगरों की कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु उन्हे प्रशिक्षित करना।**
3. **सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बेहतर विपणन व्यवस्था एवं सूचना सूचना तंत्र तैयार कर कृषि वानिकी से जुड़े कृषकों को अधिकाधिक लाभ पहुँचाना।**
4. **प्रदेश सरकार के मिशन के कार्यों हेतु वर्कशाप, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. **मिशन के कार्यक्रमों को कृषक/कृषक सोसाईटी/स्वयं सहायता समूह/उत्पाद संस्थाओं/ सरकारी/गैर सरकारी विभागों के माध्यम से क्रियान्वित कराना।**

6. **जिला कृषि वानिकी समिति द्वारा समस्त प्रस्ताव संकलित कर राज्य कृषि वानिकी मिशन के समक्ष प्रस्तुत करना।**

7. **उत्तर प्रदेश कृषि वानिकी मिशन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करना।**

राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

संख्या-2243(1)/14-5-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(3) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) समस्त सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) निदेशक, कृषि, कृषि भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
(8) समस्त मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
(9) मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, कानपुर।
(10) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(11) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(12) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(13) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(14) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(15) ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(16) सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
(17) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(18) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(19) वन एवं वन्यजीव अनुभाग-1, 2, 3 एवं 4
(20) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।